न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
73 / 2016	धारा 91 एल.आर.एक्ट	09.08.2016	20.02.2018

उनवान सरकार बनाम श्री शकुन्तला पत्नी श्री विशालसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

–: निर्णय :–

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित नही। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का लाम्बी अहीर ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्र्राम सहड़ के ख0 न0 84 कुल रकबा 0.11 है0 किस्म गैर मु0 कुआ में से 0.02 है0 भूमि पर अतिक्रमी श्री शकुन्तला पत्नी श्री विशालसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0) ने अवैध रूप से अवैध मकान निर्माण की नीव भरकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। हल्का पटवारी ने अवगत करवाया कि वर्तमान मे अब अतिक्रमी का कोई अतिक्रमण नही है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा मकान निर्माण की नीव भरकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी धोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप का अतिक्रमण शुदा शरह लगान 1.73 भूमि के लगान 0.02 की 50 गुणा जुर्माना राशि 2/– रूपये बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसीलदार - बुहाना
जिला - झुन्झुनूँ (राज.)

Scanned by CamScanner